क्रम-संख्या–179

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, सोमवार, 21 सितम्बर, 2020

भाद्रपद 30, 1942 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

———————

संख्या 768 / वि0स0 / संसदीय / 77(सं)-2020

लखनऊ, 22 अगस्त, 2020

———————

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2020 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2020

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 28 जुलाई, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1976 की धारा 7 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 7 में निम्नलिखित 'परन्तुक' बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

''परन्तु जहाँ इस प्रकार आवंटित की गई किसी भूमि का उपयोग कब्जा के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि, अथवा आवंटित किये जाने की शर्त के अन्तर्गत ऐसे उपयोग के लिए नियत अवधि, जो भी अधिक हो, के भीतर नहीं किया जाता है वहाँ आवंटन और पट्टा विलेख रद्द हुआ माना जायेगा और उक्त भूमि प्राधिकरण के पास रहेगी :

परन्तु यह और कि जहाँ पूर्वोक्त अवधि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व पहले ही व्यपगत हो गयी हो वहाँ प्राधिकरण आवंटी को ऐसे प्रयोजन, जिसके लिए वह आवंटित की गयी थी, के लिए एक वर्ष की अवधि के भीतर उक्त भूमि का प्रयोग करने के लिए नोटिस देगा और यदि उपर्युक्त एक वर्ष की अवधि के भीतर आवंटी भूमि का उपयोग नहीं करता है तो आवंटन और पट्टा विलेख स्वतः रद्द हुआ माना जायेगा।''

निरसन एवं व्यावृत्ति

3—(1) उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2020 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन् 2020

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सहप्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध, सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

राज्य में कतिपय क्षेत्रों का औद्योगिक तथा नगरीय क्षेत्र के रूप में विकास हेतु प्राधिकरण का गठन और तत्सम्बन्धी मामलों का उपबंध करने के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1976) अधिनियमित किया गया है। राज्य में औद्योगिकीकरण को गति प्रदान करने के उद्देश्य से भूमि बैंक में वृद्धि करना आवश्यक समझा गया। अतएव यह विनिश्चय किया गया कि यदि कब्जा के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि या ऐसी उपयोगिता हेतु नियत अवधि, जो भी अधिक हो, के भीतर औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं की जाती है तो पट्टा विलेख रद्द माना जाएगा और उक्त भूमि औद्योगिक विकास प्राधिकरण में निहित हो जायेगी। जहाँ पूर्वोक्त अवधि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व व्यपगत हो गई हो वहाँ प्राधिकरण आवंटित किये गए प्रयोजन के लिए एक वर्ष की अवधि के भीतर उक्त भूमि का उपयोग करने हेतु आवंटी को नोटिस देगा और यदि आवंटी ऊपर उल्लिखित एक वर्ष की अवधि के भीतर उक्त भूमि का प्रयोग नहीं करता है, तो आवंटन तथा पट्टा विलेख स्वतः रद्द हुआ समझा जायेगा। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी। अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 28 जुलाई, 2020 को उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन् 2020) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

सतीश महाना,
मंत्री,
औद्योगिक विकास।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 547/XC-S-1–20-39S-2020
Dated Lucknow, September 18, 2020

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Audyogik Kshettra Vikash (Sansodhan) Vidheyak, 2020" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 22, 2020.

.

THE UTTAR PRADESH INDUSTRIAL AREA DEVELOPMENT (AMENDMENT) BILL, 2020

A

BILL

further to amend the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy first Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Industrial Area Development (Amendment) Act, 2020.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from July 28, 2020.

Amendment of section 7 of U.P. Act no. 6 of 1976

2. In section 7 of the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 the following proviso shall be *inserted,* namely :-

''Provided that where any land so allotted is not utilized for the purpose for which it was allotted within the period of five years from the date of possession or within the period fixed for such utilisation in the conditions of allotment, whichever is longer, the lease deed will stand cancelled and the land shall vest with the Authority:

Provided further where the aforesaid period has already lapsed before the commencement of this Act, the Authority shall give a notice to the allottee to use the land for the purpose for which it was allotted within a period of one year and if within the above period of one year the allottee does not use the land, then the allotment and lease deed shall stand automatically cancelled."

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 16 of 2020

3. (1) The Uttar Pradesh Industrial Area Development (Amendment) Ordinance, 2020 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 (U.P. Act no. 6 of 1976) has been enacted to provide for the constitution of an Authority for the development of certain areas in the State into industrial and urban township and for matters connected therewith. In order to accelerate industrialization in the State, it was felt necessary to increase the land bank. Hence it was decided that if the industrial unit is not established within a period of five years from the date of possession, or within the period fixed for such utilization, whichever is longer, the lease deed will stand cancelled and the land shall vest with the Industrial Development Authority. Where the aforesaid period has lapsed before the commencement of this Act, the Authority shall give notice to the allottee to use the said land within a period of one year for the purpose for which it was allotted and if the allottee does not use the land within the period of one year mentioned above, the allotment and lease deed shall be deemed to have been automatically canceled. In view of the above, it had been decided to amend the aforesaid Act.

Since the State legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Industrial Area Development (Amendment) Ordinance, 2020 (Uttar Pradesh Ordinance no. 16 of 2020) was promulgated by the Governor on July 28, 2020.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

SATISH MAHANA,
Mantri,
Audhyogik Vikas.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 261 राजपत्र—2020—(662)—599+25+5=629 प्रतियां—(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।